

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 286]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2011—आश्विन 29, शक 1933

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-30/2011/वाक (पं.)/पांच (47).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ स्टाम्प नियम, 1942 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 27-ए में, शब्द “मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी” के स्थान पर, शब्द “संभाग का आयुक्त अथवा राज्य शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया गया अधिकारी” प्रतिस्थापित किए जाएं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 10-30/2011/वाक (पं.)/पांच (47).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2011/वाक (पं.)/पांच (47), दिनांक 21-10-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव।

Raipur, the 21st October 2011

NOTIFICATION

No. F-10-30/2011/CT (R)/V(47).—In exercise of the powers conferred by Section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Stamp Rules, 1942, namely :—

AMENDMENT

In the said rules.—

In Rule 27-A, for the words “Chief Controller Revenue Officer of the Division”, the words “Commissioner of the Division or Officer so appointed by the State Government, by notification in the Official Gazette” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.